ीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर– 03 / 2015 जमीला बनाम राजस्थान सरकार वगै0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
.02.2018	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि कस्बा झुन्झुनू मे स्थित जमीन पुरान खसरा नम्बर 945 / 2 जिसके हाल खसरा नम्बर 3474 रकबा 0.63 है0 जमीन पुरान खसरा नम्बर 945 / 1 जिसके हाल खसरा नम्बर 3475 रकबा 3.78 है0, जमीन पुराना खसरा नम्बर 944 जिसके हाल खसरा नम्बर 3470 रकबा 3.71 है0 पड़े। जमीन हाल खसरा नम्बर 3475 रकबा 3.87 है0 मे काबिज काश्तकार खातेदार आवेदकगण है व जमीन हाल खसरा नम्बर 3474 रकबा 0.63 है0 के अन्य व्यक्तियों की खातेदारी मे दर्ज है। जमीन खसरा नम्बर 3470 रकबा 3.71 है0 व जमीन हाल खसरा नम्बर 3474 रकबा 0.63 है0 जमीन एक व्यक्ति की खातेदारी में होने की वजह से खसरा नम्बर 3474 पुराने नक्शे के अनुसार गलत कटान हुआ क्योंकि पुराने नक्शे व नये नक्शे के मिलान करने पर स्पष्ट जाहिर होता है कि हाल खसरा नम्बर 3474 जमीन हाल खसरा नम्बर 3470 के उत्तर पश्चिमी कोने में कटान होना चाहिए था। पुराने नक्शे को नये नक्शे में जमीन हाल खसरा नम्बर 3470 को सीधा कर दिया व खसरा नम्बर 3474 को कटान उपर कर दिया, जो दुरूस्ती के काबिल है। आवेदकगण के अपने कब्जे शुदा काश्त की जमीन पर उक्त नक्शे को दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं जो केवल राजस्व अधिकारियों की लापरवाही से दर्ज हुआ है। यह कि आवेदन पत्र को सुनने का हक अदालत हाजा को है अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 3474 रकबा 0.63 है0 को बने नक्शे के हटाकर जमीन हाल खसरा नम्बर 3470 में उत्तर पश्चिमी कोने से कटाकर पुराने नक्शे के मिलान अनुसार दुरूस्त करने का आदेश देने का निवेदन किया है। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी गण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव प्रार्थना पत्र हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी गण द्वारा अपना जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नक्शा दुरूस्त करने पर कोई आपत्ति नहीं होना अपने जबाव में वर्णित किया है। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी व पुरानी नक्शा सीट व नई नक्शा सीट का अवलोकन किया गया । दोनों सीटों में भिन्नता होना जाहिर होता है जिसको पुरानी नक्शा सीट के अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः **आदेश** प्रार्थी (वादी) का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 का स्वीकार किया जाकर कस्बा झुन्झुनू में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 3474 रकबा 0.63 है0 को नये नक्शे से हटाकर जमीन हाल खसरा नम्बर 3470 में उत्तर पश्चिमी कोने से कटाकर पुराने नक्शे सीट के मिलान के अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वे नया नक्शा सीट को पुराने नक्शा सीट के अनुसार दुरूस्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 12.02.2018 को लिखवाया जाकर सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राजस्थान)	

Scanned by CamScanner